कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय–आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/शवि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत बलवन्त सिंह वर्मा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि देवीपुरा, शाहपुरा, जयपुर का स्थानांतरण राबाउमावि वार्ड नम्बर 20 छबड़ा, बारां किया गया एवं संशोधन आदेश दिनांक 16.10.2019 के तहत राउमावि पंचपाड़ा, छबड़ा, बारां किया गया। बलवन्त सिंह वर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4597/2019 बलवन्त सिंह वर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4597/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 द्वारा बलवन्त सिंह वर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन आदेश की तिथि से 15 दिवस में प्रस्तुत करने एवं इस पर विचार करते हुए विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी बलवन्त सिंह वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के वृद्ध माता–पिता, छोटे भाई–बहिन, छोटी बच्चीयां एवं स्थानान्तरित स्थान 450 किमी दूर होने तथा पत्नी के थॉयरॉइड से पीड़ित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि थोई, सीकर/राउमावि हाथीदेह, सीकर/राउमावि होल्या का बास, सीकर/राबाउमावि मऊ, सीकर/राउमावि, कोटड़ा, सीकर/राउमावि सुन्दरपुरा, ढ़ाढ़ा, जयपुर/राउमावि जयसिंहपुरा, जयपुर के रिक्त पद की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 18.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(हिमांशु गुप्ता) 14/01
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20 दिनांकः– 17/01/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर....................................।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)